

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/189
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00188
CICOM/R/2016/00367

दिनांक: 06.06.2016

अपीलकर्ता : श्री राधे श्याम गुप्ता, C/o श्री वी.के.जैन,
3315, महिन्द्रा पार्क, रानी बाग,
दिल्ली - 34.

निर्णय की तारीख: 06.06.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	14.03.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	07.04.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री सुशील कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	29.04.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	131381/29.04.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	247/02.05.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 2 बिंदुओं पर केन्द्रीय सूचना आयोग में कार्यरत लीगल कंसलटेन्ट्स एवं आउटसोर्स एजेंसियों के संबंध में जानकारी मांगी थी, अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि उन्हें वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई है।
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री सुशील कुमार, उप-सचिव व जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 07.04.2016 को पत्र सं. 3/2/2016/Admin/CIC/00367 के माध्यम से अपीलकर्ता को उपलब्ध करा दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपलब्ध कराई गई सूचना अपीलकर्ता को प्राप्त नहीं हुई है, अतः अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु प्रदान की गई सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रदान की गई सूचना से यदि अपीलकर्ता असंतुष्ट हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख पुनः प्रथम अपील दाखिल की जा सकती है।

संलग्नक : यथोपरि।

अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री सुशील कुमार, उप-सचिव व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

